(एक) जहां खनिजों को अभिग्रहीत किया गया है-पुरस्कार की अधिकतम रकम अभिग्रहीत खनिज के विक्रय मूल्य की वसूली के पश्चात् उसका पांच प्रतिशत अथवा रूपए पांच सौ, इनमें से जो भी कम हो, होगी;

(दो) जहां कोई खनिज अभिग्रहीत नहीं किया गया है-पुरस्कार की अधिकतम रकम वसूल की गई शास्ति की रकम का पांच प्रतिशत होगी;

(३) पुरस्कार का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जाएगा,-

(एक) इन नियमों के अधीन पुरस्कार का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जाएगा;

(दो) इन नियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिए गए पुरस्कार के विरुद्ध किसी प्राधिकारी को कोई अपील नहीं होगी।

55. प्राधिकारी तथा पुरस्कार का प्रकार- (1) पुरस्कार प्रदान करने का अधिकार संचालक में निहित होगा।

(2) पुरस्कार प्रदान करने बावत् मामले अथवा प्रस्ताव का परीक्षण और पुरस्कार देने का निर्णय ऐसी समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें संचालक तथा उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट विभाग के दो अन्य अधिकारी होंगे।

(3) पुरस्कार मध्यप्रदेश ट्रेजरी कोड के जिल्द दो के प्ररूप-34 में उस आहरण तथा संवितरण अधिकारी द्वारा आहरित किया जाएगा जो कि सम्बन्धित शासकीय सेवक के वेतन तथा भत्तों का संवितरण करता है।

अध्याय 12

गौण खनिजों से राजस्व का जनपद पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों के बीच संवितरण

[1][**56. आगम का जमा किया जाना-** (1) गौण खनिज की खदानों से सम्बन्धित अनिवार्य भाटक, स्वामित्व (रायल्टी) भूतल भाटक, ब्याज और अन्य कोई शास्तियों को सम्मिलित करते हुए, समस्त आगम नियम 10 के उपनियम (3) में विहित आगम प्राप्ति शीर्ष के अधीन जमा किया जाएगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन जमा स्वामित्व (रायल्टी) वित्त विभाग द्वारा, बजट प्रावधान के अधीन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रकार वित्त विभाग द्वारा आवंटित रकम पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के नियंत्रण के अधीन रहेगी।

(3) (क) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, आवंटित रकम का उपयोग पंचायत राज संस्थाओं के पदाधिकारियों एवं सचिव ग्राम पंचायत के मानदेय के भुगतान तथा अधोसंरचना विकास में करेगा।

(ख) निगम, नगरपालिका, विशेष क्षेत्र तथा नगर पंचायतों की सीमा के भीतर अवस्थित खदानों की संविदा, अनुज्ञा तथा उत्खनिपट्टे से प्राप्त आगम, यथास्थिति, सम्बन्धित निकाय को, उनके कार्यों के लिए आवंटित किए जाएंगे।

(ग) पंचायतों/निगमों/नगरपालिकाओं/विशेष क्षेत्रों/नगर पंचायतों से प्राप्त आगम के ब्यौरे कलेक्टर द्वारा रखे जाएंगे।]

1. अधिसूचना क्रमांक एफ-19-10-99-बारह-1, दिनांक 27 अगस्त, 2003 द्वारा प्रतिस्थापित।

Scanned with CamScanner

CHAPTER XII

Disbursement or Revenue from Minor Minerals Between Janpad Panchayats and Gram Panchayats

[1][56. **Deposition of Revenue.**-(1) All revenue including dead rent, royalty, surface rent, interest and any other penalties for the quarries of minor minerals shall be deposited under the revenue receipt head prescribed in sub-rule (3) of rule 10.

(2) The royalty deposited under sub-rule (1) shall be made available to Panchayat and Rural Development Department by Finance Department, subject to budget provision. Funds so allotted by the Finance Department shall be under the control of Panchayat and Rural Development Department.

(3)(a) Panchayat and Rural Development Department shall use allotted amount for payment of honorarium of official of Panchayat Institution and Secretary, Gram Panchayat and for infrastructure development.

(b) The revenue received by way of auction, permits and quarry lease of quarries situated within the limit of corporation, municipalities, special areas and nagar panchayats shall be allotted to respective body, as the case may be, for their works.

(c) The details of revenue received from the Panchayats/ Corporations/ Municipalities/Special Areas/Nagar Panchayats shall be maintained by the Collectors.]

CHAPTER XIII

Appeal, Review and Revision

57. Appeal, Review and Revision.-(1) [2][x x x]

(2) Where any power is exercisable by the [3][Collector/Additional Collector/Officer Incharge, Mining Section] under these rules, in relation to any matter an appeal shall lie, from [4][every order passed or deemed to have been passed under these rules] to the Director.

(3) Where any power is exercisable by the Director under these rules, in relation to any matter an appeal shall lie from [5][every order passed or deemed to have been passed under these rules] to the State Government.

[6][(4) Any person aggrieved by any order passed or deemed to have been passed by the State Government, in exercise of the powers conferred under these rules, may, within sixty days of the date of communication of the order to him, apply to the State Government for review of the order].

---

1 Rule 56 subs. by No. 12 [19-9-2008].
2 Sub-rule (1) omitted by No. 9 [13-1-2005].
3 The words "Collector/Additional Collector" subs. by No. 17 [19-1-2010].
4 Some words subs. by No. 1 [19-6-1997].
5 Some words subs. by No. 1 [19-6-1997].
6 Sub-rule (4) subs. by No. 1 [19-6-1997].

Scanned with CamScanner